रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1182] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2014/ज्येष्ठ 13, 1936
No. 1182] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2014/ JYAISTHA 13, 1936

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 2014

का.आ.1428(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उपधारा(1) द्ववारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 73 के उपबंधों, को प्रभावी बनाने में उत्पन्न हुई कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2014 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. कंपनी विधि बोर्ड की अधिकारिता शक्तियों, प्राधिकार और कृत्य जब तक केन्द्रीय सरकार द्ववारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 434 की उपधारा (1) के अधीन कोई तारीख अधिसूचित नहीं कर दी जाती, तब तक कंपनी अधिनियम 1956(1956 का 1) की धारा 10ड़ की उपधारा(1) के अनुसरण में गठित कंपनी विधि बोर्ड , कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 73 की उपधारा (4) के अधीन की अधिकारिता, शक्तियों, प्राधिकार और कृत्यों का प्रयोग करेगा।

[फा. सं. 2/8/2014 सीएल-V]
अमरदीप सिंह भाटिया,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 2014

S.O. 1428(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 470 of the Companes Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove certain difficulties that have arisen in giving effect to the provisions of Section 73 of the said Act, namely:—

1. (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Jurisdiction, Powers, authority and functions of Company Law Board.- Until a date is notified by the Central Government under sub-section (1) of Section 434 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Company Law Board constituted in pursuance of sub-section (1) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall exercise the jurisdiction, powers, authority and functions under sub-section (4) of Section 73 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

[F. No. 2/8/2014-CL-V]
AMARDEEP SINGH BHATIA,
Jt.Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.